न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– सुमित्रा बिश्नोई आर.ए.एस.

प्र.सं. :– 104/2023

जीसीएमएस :– 2023/301

1. छिन्द्रपाल कौर पत्नी मघर सिंह जाति जटसिख उम्र 60 वर्ष निवासी 67 जी.बी. तहसील व जिला अनूपगढ़।

–: प्रार्थीया

बनाम

1. परमजीत कौर पत्नी जगीन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 69 जी.बी. तहसील व जिला अनूपगढ़।
2. निन्द्र सिंह पुत्र जगीन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 69 जीबी तहसील व जिला अनूपगढ़।
3. सुखविन्द्र सिंह पुत्र जगीन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 69 जीबी तहसील व जिला अनूपगढ़।
4. उप पंजीयक, अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़।

–: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री तिलकराज चुघ, वकील प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्र सिंह, अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 09.02.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी यह कि कृषि भूमि वाके चक 69 जी बी तहसील अनूपगढ का मु.न.39 पं.न. 259/455 का किला नं.1 ता12 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, 13/3 का 0. 126 हैक्टर इस प्रकार कुल 3.162 हैक्टर नाली प्रथम/दोयम खातेदारी कृषि भूमि जगीन्द्रसिहं पुत्र बलवीरसिहं जाति जटसिख निवासी 69 जी बी तहसील अनूपगढ के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि मे से किला नं.10 की 0.003 हैक्टर रक्बा को आयंदा प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि कहा जाऐगा। यह कि जगीन्द्रसिहं पुत्र बलवीरसिहं का देहान्त हो चुका है जिसके देहान्त उपरांत अप्रार्थी सं.1 ता 3 उसके प्रथम श्रेणी के विधिक एवं जायज वारिसान है वर्तमान में जगीन्दसिह के नाम की उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.1 ता 3 के नाम से विरास्तन आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। इसलिऐ अप्रार्थी सं.1 ता 3 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। यह कि विवादित भूमि प्रार्थीया की जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 25.05.2015 से पूर्ण प्रतिफल के बदले खरीदशुदा है ओर प्रार्थीया का तब से लेकर आज रोज तक विवादित भूमि यानि किला नं.10 की 0.003 हैक्टर भूमि पर शान्तिपुर्वक कब्जा चला आ रहा है जिस पर प्रार्थीया का टयूवबैल व मोटर स्थापित है जिसका प्रार्थीया निरन्तर उपयोग उपभोग कर रही है लेकिन अप्रार्थी सं.1 ता 3 विरास्तन इन्तकाल की आड में प्रार्थीया को उक्त विवादित भूमि से बिला अधिकार जबरन बेदखल करने व उक्त विवादित भूमि को अन्यंत्र खुर्द बुर्द करने पर उतारू है तथा अप्रार्थी सं.7 ने न्यायालय के आदेशो के बिना प्रार्थीया का सहयोग करने से मना कर दिया और तहसीलदार अनूपगढ ने प्रार्थीया के बैयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने से मना कर दिया यदि प्रतिवादगण अपने इस नापाक ईरादे मे कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपुर्ति मुद्रा की ऐवज में नही हो सकेगी। इसलिऐ प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है। यह कि प्रथम दृ ष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन पुर्णतया प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अतः **प्रार्थना पत्र मय** शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस **अमर की अस्थाई व्यादेश** से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 ता3 विवादित कृषि भूमि **चक 69 जी बी तहसील अनूपगढ** का मु.न.39 पं.न. 259/455 के किला नं.10 की 0.003 **हैक्टर** भूमि पर **प्रार्थीया के कब्जा काश्त,** उसमें स्थापित प्रार्थीया के टयूवबैल एवं मोटर, भूमिगत पाईपलाईन व प्रार्थीया की सिंचाई सुविधा में

2-

किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने व करवाने से बाज वा ममनू रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखे। कृपा होगी

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित रकबा विवादित कृषि भूमि में से कि.नं. 10/0.003 हैक्टर भूमि किसी प्रकार से विवादित नहीं है। प्रार्थीया द्वारा जानबूझकर इसे विवादित बनाया गया है। अप्रार्थीगण के पिता जगिन्द्र सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी भूमि में से कि.नं. 10/0.003 हैक्टर भूमि का बैचान कभी भी प्रार्थीया को नहीं किया गया और न ही कोई प्रतिफल राशि प्राप्त की और न ही तथाकथित बैयनामा दिनांक 25.05.2015 को प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवाया। तथाकथित बैयनामा कतई बिला बदल व कूटरचित है। तथाकथित बैयनामा कूटरचित है जिसके तहत कब्जा का अन्तरण नही हुआ है ना ही प्रार्थीया का कब्जा है और ना ही किला नं.10 के किसी भू भाग पर प्रार्थीया का कोई टयूबबैल या मोटर ही स्थापित है जब प्रार्थीया का कब्जा ही नही है तो उसे बेदखल करने की धमकी देने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता, ना ही प्रार्थीया को कोई अपुर्णिय क्षति होना संभावित है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नही है।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय तक पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अप्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा और अपूर्णीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण भूमि के संयुक्त खातेदार काबिज काश्त हैं, प्रार्थी का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा न ही वर्तमान में काबिज हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में हैं प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा विवादित भूमि चक 69 जी बी तहसील अनूपगढ का मु.न.39 पं.न. 259/455 का किला नं. 1 ता 12 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, 13/3 का 0.126 हैक्टर इस प्रकार कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि में से कि.नं. 10/0.003 हैक्टर कृषि भूमि को छोड़कर शेष भूमि को इस स्थगन से मुक्त रखा जाने एवं उसे रहन, बैचान व अन्यत्र हस्तांतरित करने पर कोई रोक नहीं लगाने हेतु निवेदन किया है जो स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा कि.नं. 10/0.003 हैक्टर भूमि की तावाद रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का हिस्सा निहित हैं या नहीं का निश्चय मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर वाद बिन्दू कायम कर गुणावगुण पर किया जाना हैं। विवादित भूमि चक 69 जीबी के प.नं. 259/455 के कि.नं. 10/0.003 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हैं यदि भूमि का अन्य को हंस्तातरण कर दिया जाता हैं तो मुकदमेबाजी बढ़ने की संभावना हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उचित समझता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि चक 69 जीबी के प.नं. 259/455 के कि.नं. 10/0.003 हैक्टेयर की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति यथावत बनाई रखी जावे।

–:: आदेश ::–

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत 212 राज0 काश्त0 अधि0 स्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक **18.09.2023** को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़